राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/बजट घोषणा–136/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/18–19/ 23221-33 दि. 1/10/2020

उपायुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा/प्रतापगढ।

विषय– बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 100) प्रतापगढ एवं बांसवाडा की पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृति को यथावत रखने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 100) की वित्तीय स्वीकृति विभागीय पत्र कमांक 29718–31 दिनांक 14.08.2018 एवं 30934–49 दिनांक 27.08.2018 द्वारा जारी की गयी थी जिसे विभागीय पत्रांक 25023–43 दिनांक 21.06.2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

पत्रावली के पैरा संख्या 60/एन पर इन कार्यो को यथावत रखने का प्राप्त अनुमोदन के कम में विभागीय वित्तीय स्वीकृति कमांक 29718–31 दिनांक 14.08.2018 एवं 30934–49 दिनांक 27.08.2018 को यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	स्थान	वित्तीय स्वीकृति		ड्राईंग अनुसार प्लिन्थ एरिया वर्गमीटर	स्थान	कार्यकारी एजेन्सी
		क्र/दि	राशि			
1	प्रतापगढ मुख्यालय	29718-31/ 14.08.18	532.83	1287.00	जिला कलक्टर कार्यालय परिसर के सामने कन्या खेल छात्रावास के समीप उपलब्ध भूमि पर	RSAMB
2	बांसवाडा मुख्यालय	30934-49/ 27.08.18	479.74	1349.00	नगर परिषद् बांसवाडा द्वारा माही सरोवर (ई–ब्लॉक) मे उपलब्ध कराई गयी भूमि पर	PWD
		योग	1012.57			

संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 24/2018–19 में उपलब्ध राशि में से राशि रूपये 100.00 लाख उपायुक्त टीएडी बांसवाडा को पूर्व में हस्तांतरित किए गये।

उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्यो हेतु निम्नानुसार राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.सं.	कार्यालय का नाम जिसे राशि राशि हस्तांतरित की जानी है।	स्वीकृति संख्या	हस्तांतरण योग्य राशि
1.	उपायुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,बांसवाडा	16/2019–20	100.00
2.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	24/2018–19	100.00
3.		16/2019–20	89.01
	योग		289.01

कृ.पृ.उ.

कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 3 डी एलिवेशन, साईट प्लान प्राप्त कर आयुक्तालय को आवश्यक रूप से भिजवावें।
कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास प्रतापगढ कार्य को समयबद्वता एवं गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराने हेतु एम.ओ.यू. प्राप्त कर आयुक्तालय को प्रस्तुत करें।

स्वीकृति की शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी।

sd-
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/बजट घोषणा-136/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/18-19/23221-33 दि. 1/10/2020
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ,सचिवालय, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता,सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, राज्य राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत बांसवाडा।
7. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भीलवाडा।
8. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड़ बांसवाडा।
9. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 24/2018-19 में उपलब्ध राशि में से राशि रूपये 100.00 लाख राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित करे। शासन की स्वीकृति संख्या 16/2019-20 में उपलब्ध राशि में से राशि रूपये 100.00 लाख उपायुक्त टीएडी बांसवाडा को एवं राशि रूपये 89.01 लाख राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित करे।
10. निदेशक, मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in